SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 OR 264 OF THE CRIMINAL PROCEDURE CODE,1973

In the Court of:- शुभांषु ताम्रकार न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ब्यावरा (म.प्र.)

Case No-SUM/866/2023 complaint or report made on25-11-2023

Name and address of the complainant म0प्र0 राज्य द्वारा देहात ब्यावरा

वि रू द्ध

अभियुक्तः लखन पिता कंवरलाल जाटव उम्र–22 साल निवासी ग्राम अतरालिया थाना देहात ब्यावरा जिला राजगढ म.प्र.

———————————————————————————————

the offence complainant of, and date of, its alleged commission 24.08.2023 को समय करीब 14:50 बजे आप कचनारिया जोड ब्यावरा थाना देहात ब्यावरा में बिना अनुज्ञप्ति के अपने आधिपत्य में 20 क्वाटर सफेद प्लेन देशी शराब रखे हुए पाए गए, ऐसा कर आपने वह अपराध कारित किया, जो धारा म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 की धारा **34 (1)** के तहत दंडनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

अतः आप प्रकट करो कि आप अपराध स्वीकार करते हो या प्रतिरक्षा चाहते हो।

SHUBHANSHU TAMRAKAR
Digitally signed by SHUBHANSHU TAMRAKAR
Date: 2023.11.25 17:38:44 +0530

(शुभांषु ताम्रकार)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
ब्यावरा जिला–राजगढ़ (म.प्र.)

the plea of the accused and his examination (if any)-
उक्त अपराध विवरण को पढ़कर सुनाये जाने पर उसका अभिवाक् है कि:–

SHUBHANSHU TAMRAKAR
Digitally signed by SHUBHANSHU TAMRAKAR
Date: 2023.11.25 17:38:50 +0530

(शुभांषु ताम्रकार)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
ब्यावरा जिला–राजगढ़(म.प्र.)

the offence proved if any, and in case uder clause, (d) clause (e) clause(f) or clause (g), of Sub-section (i) 260 the value of the property in respect of the which the offence has been committed.

:: नि र्ण य ::

(आज दिनांक 25.11.2023 को घोषित)

01. अभियुक्त के विरूद्ध अभियोजन द्वारा म0प्र0 आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (1) के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के संबंध अभियोग पत्र पेश किया गया है।

02. अभियुक्त के विरूद्ध म0प्र0 आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (1) के अन्तर्गत दंडनीय अपराध के संबंध में अपराध की विशिष्टियां पढकर सुनाई समझाई गई, जिसे अभियुक्त ने स्वेच्छापूर्वक स्वीकार किया। अभियुक्त की स्वेच्छापूर्वक स्वीकारोक्ति को यह न्यायालय अन्यथा प्रभाव से मुक्त पाता है और अभियुक्त की स्वीकारोक्ति के आधार पर उसे म0प्र0 आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (1) के अपराध में दोषी पाते हुए दोषसिद्ध ठहराया जाता है।

03. अभियुक्त की अवस्था व अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए उसे अधिक कठोर दण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अभियुक्त को म.प्र. आबकारी अधिनियम की धारा, 1915 की धारा–34(1) के दण्डनीय अपराध में न्यायालय उठने तक का कारावास एवं अर्थदण्ड की राशि 1500/–रूपए (एक हजार पॉच सौ रूपये) से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड की राशि अदा करने के व्यतिक्रम की दशा में 10 दिवस का साधारण कारावास अभियुक्त को भुगताया जावे।

04. प्रकरण में जप्तशुदा 20 क्वाटर देशी सफेद प्लेन मदिरा के मूल्यहीन होने से नष्ट की जावे।

निर्णय न्यायालय में हस्ताक्षरित, मेरे निर्देशानुसार टंकित।

दिनांकित कर घोषित किया गया।
स्थान– ब्यावरा जिला राजगढ़
दिनांक–25.11.2023

SHUBHANSHU TAMRAKAR
Digitally signed by SHUBHANSHU TAMRAKAR
Date: 2023.11.25 17:38:58 +0530

(शुभांषु ताम्रकार)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
ब्यावरा, जिला–राजगढ़ (म.प्र.)

SHUBHANSHU TAMRAKAR
Digitally signed by SHUBHANSHU TAMRAKAR
Date: 2023.11.25 17:39:05 +0530

(शुभांषु ताम्रकार)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
ब्यावरा, जिला–राजगढ़ (म.प्र.)